

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक

संख्या-08/अ०शि०-09-22/2023/श्रीमती रेखा भारती,
प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सुलतानगंज, भागलपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम
234 एवं 248 (ग) के तहत दिनांक 02.09.2025 से 14.12.2025 तक कुल 104
दिनों का रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवकाश की प्रविष्टि श्रीमती रेखा भारती की सेवा पुस्त में की
जायेगी।

रू/-
(विक्रम विरकर)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक-08/अ०शि०-09-22/2023 2270/ पटना, दिनांक 13.03.2026

प्रतिलिपि:- जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(स्थापना), भागलपुर को मूल सेवापुस्त संलग्न करते हुए/संबंधित कोषागार/उप
कोषागार पदाधिकारी/ श्रीमती रेखा भारती, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी,
सुलतानगंज, भागलपुर एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक-सेवापुस्त मूल में।



निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।